

राजस्थान सरकार
पारीरा निकाय विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एप्र० 10(35)नावेवि / 3 / 2010

जयपुर, दिनांक :-

1 JUL 2010
1 JUL 2010

सचिव,
जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर

निदाशक,
सभानीय निकाय,
राजस्थान जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अहमदराहा / अजमेर / भरतपुर / मिवाड़ी / भीलवाड़ा / दीकानेर / आदू ज़िला सिरोही /
काटा / उदयपुर / श्रीगंगानगर / जैसलमेर।

विषय :- भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.06.2010

नहान्दव,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निरस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसके बिन्दु संख्या 1 पर निर्देश हिते गए थे कि “यदि इसी भूमि का भू-उपयोग प्रारूप मास्टर में प्रभावी मास्टर प्लान के भिन्न हैं तो इसे प्रकरणों में दो वर्ष तक भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा।”

राज्य सरकार द्वारा इस बिन्दु पर स्थन न्याय पर पुर्णविचार किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के निरस्तारण हेतु इस बिन्दु को संशोधित रूप से निर्मातुलार बढ़ा जाए।

“प्रचलित मास्टर प्लान जो प्रभावशील है वा अनुशारण आवश्यक है। अतः तदअनुसार प्रकरणों का निरस्तारण किया जाये ना कि प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार जो अभी प्रभावी नहीं हुआ है।”

कृपया इस संशोधन के अनुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव